पत्र संख्या एल०-2/52-23-05-2021/......46......

बिहार पुलिस मुख्यालय
(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक
सभी पुलिस अधीक्षक
बिहार।

पटना, दिनांक 14 जून, 2021

विषयः- **राज्य के अन्तर्गत अग्निकांड की घटना होने पर घटना स्थल पर संबंधित थाना प्रभारी अथवा थाने के प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के अन्तर्गत अग्निकांड की घटना घटित होने पर घटनास्थल पर उग्र ग्रामीणों अथवा उपद्रवियों द्वारा अग्निशमन वाहनों को क्षतिग्रस्त किये जाने तथा अग्निशमन कार्य में बाधा पहुचाये जाने की घटना देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में घटनास्थल पर संबंधित थाना प्रभारी अथवा थाना के प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि अग्निशमन सेवा के कर्मियों को अग्निशमन कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके।

जीवन रक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाये रखना आरक्षी के सामान्य कर्तव्य हैं । बिहार पुलिस हस्तक-1978 भाग 1 के नियम 101 में भी आग लगने पर आरक्षी दल द्वारा आदेश कार्यान्वित होने तथा आरक्षी दल के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

अतः उक्त आलोक में निदेशित किया जाता है कि:-

i) अग्निकांड की घटना होने पर थाना प्रभारी तुरंत ही स्वयं अथवा कम से कम 01 अवर निरीक्षक तथा जितने अधिक सिपाही और हवलदार उपलब्ध हो सकें, उनका एक दल बनाकर घटनास्थल पर भेज देंगे।

ii) गंभीर अग्निकांडों मे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर विधि-व्यवस्था संधारण, भीड़ नियंत्रण, अग्नि क्षेत्र को कॉर्डन करने की कार्रवाई आदि सुनिश्चित करेंगे।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
Amit Kumar
14/6/21
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था)
बिहार, पटना ।

प्रतिलिपिः-

1) महानिदेशक सह महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2) अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3) सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4) प्रशाखा पदाधिकारी, पी०-1 प्रशाखा, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं साप्ताहिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सूचना देने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

kali 2021/neetu patrank